न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 182/2024 | दायर दिनांक 13.05.2024 | निर्णय दिनांक 27.05..2024

उनवान

1. गणपत लाल पिता छोगा लाल ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. निर्मला पत्नि विष्णू कुमार ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतन लाल पुत्र छोगा लाल ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. संमता पत्नि सत्यनारायण ब्राह्मण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. उदय लाल पिता धनराज ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. पुषा लाल पिता धनराज ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतन लाल पिता रामपाल ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपाल लाल पिता राधाकृष्ण ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
5. बलवन्त पिता महावीर ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर ज़िला भीलवाड़ा
6. धापु देवी पत्नि मूल चन्द ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सपाइपुर जिला भीलवाड़ा
7. लादू लाल पिता हजारी ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
8. कन्हैया लाल पिता नन्द लाल ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
9. भैरू लाल पिता भंवर लाल ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
10. घीसू लाल पिता रामचन्द्र ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

11. ऊंकार लाल पिता रामेश्वर ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

12. किरण पत्नि आशुतोश ब्राहमण जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कंवलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी गोविन्द राय पुरोहित, अनिल कुमार ओझा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: <u>निर्णय</u> :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कंवलियास माफी प0ह0 बनका खेड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073--2076 के खाता संख्या 110 की अभिलिखित आराजियात 128, 129, 130, 131, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 409/1, 409/2, 410, 132 कुल किता 16 कुल रकबा 1.6741 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कंवलियास माफी प0ह0 बनका खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073--2076 के खाता संख्या 110 की अभिलिखित आराजियात 128, 129, 130, 131, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 409/1, 409/2, 410, 132 कुल किता 16 कुल रकबा 1.6741 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा